सं0-53/2016/1190 /62-2-2016-2/3(19)/2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 26 मई,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-399/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0 एफ0/2015-16, दिनांक 11-04-2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या&13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0&3733.36 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि रू0&1493.34 लाख (रूपया चौदह करोड तिरानवे लाख चौतीस हजार मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित) पर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अन्य किसी मद/योजना में कदापि न किया जाया तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश सं0-1625/62-2-2015-2/2(3)/2015, दिनांक 04-8-2015 एवं सं0-1322/62-2-2015-2/2(18)/2004 टी0सी0-16, दिनांक 13.08.2015 तथा संख्या-3253/62-2-2015-2/2(18)/ 2004 टी0सी0-8, दिनांक 13.08.2015 एवं सं0-614/62-2-2016-2/2(18)/2004टीसी, दिनांक 05-03-2016 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) निर्माण कार्यों के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बजत विवरण	15-10-2016 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बजत का अंतिम विवरण	15-12-2016 तक
4-वर्ष 2016-17 के आवंटन का अतिम लेखा विवरण (पुर्नविनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2017 तक

नोटः- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-09-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण(नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञापसंख्या&बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के क्रम में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के परामर्शनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-53/2016/1190(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई, वृत्त ।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड ।
8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9- एन0आई0सी0 की प्रति।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in